अब 24 घंटे पानी ही पानी

▶▶ 566 करोड़ की योजना को स्थायी समिति की मंजूरी ▶▶ पांच वर्ष में बदलेगी तस्वीर ▶▶ शहरवासियों को दीपावली की भेंट : जोशी

खास बातें

- उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण नागपुर से होंगी शुरुआत
- महावितरण की तर्ज पर मीटर रीडिंग का फोटो
- लीकेज की समस्या होगी खत्म, मिलेगा शुद्ध पानी
- पानी का निजीकरण नहीं
- मनपा ही तय करेगी जलापूर्ति दरें

मुख्य संवाददाता | नागपुर

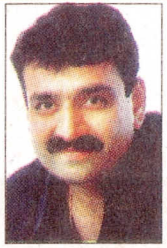

धरमपेठ जोन में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई 24 बाय 7 जलापूर्ति योजना अब पूरे शहर में लागू की जायेगी। अगले चार माह में इस योजना का काम शुरू होगा और पांच वर्ष बाद नागरिकों को 24 घंटे पानी मिलने लगेगा। उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना को पहले लागू किया जायेगा। सोमवार को मनपा स्थायी समिति में 566 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की गई। समिति के अध्यक्ष संदीप जोशी ने इसे दीपावली की भेंट बताते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, उन क्षेत्रों में इस योजना का शुभारंभ किया जायेगा। अगले छह माह में इस योजना का काम शुरू होगा। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत पुराने व जर्जर हुई 30 प्रतिशत पाइप लाइन का नेटवर्क बदला जायेगा। महावितरण की तर्ज पर मीटर रिडिंग के फोटो निकाल कर उपभोक्ताओं को मासिक बिल भेजा जायेगा। बिल के साथ एक डमी बिल भी दिया जायेगा, ताकि नई बिलिंग पद्धति में कुछ त्रुटियां होने पर उसे सुधारा जाए। जिसकी वजह से नागरिकों को परेशानी न हो। योजना का ठेका विओलिया वॉटर प्राइवेट लिमिटेड और विश्वराज इन्वायरमेन्ट को संयुक्त रूप से दिया गया है। केन्द्र ने जेएनयूआरएम योजना अंतर्गत 24 बाय 7 के लिए 387 करोड़ की योजना मंजूर की है। लेकिन अब योजना की लागत 566 करोड़ तक पहुंच गई। मूल 387 करोड़ में 70 फीसदी राशि केन्द्र देगी, जबकि मनपा की हिस्सेदारी कंपनी वहन करेगी। निजी कंपनियों और मनपा के बीच 25 वर्ष के लिए करार होगा। श्री जोशी ने इस योजना से पानी का निजीकरण होने से साफ इन्कार करते हुए कहा कि कंपनी मात्र मनपा की एजेन्ट के रूप में काम करेगी। जलापूर्ति दरें तय करने की जिम्मेदारी व मिलकियत मनपा की पूर्ववत बनी रहेगी। नए कनेक्शन देने व काटने की जिम्मेदारी भी मनपा का होगी। कंपनी की अपनी ओर से उपभोक्ताओं को मीटर बदल कर देगी। जलसंकट के दौरान टैंकर आपूर्ति करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, इससे टैंकर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की मनपा को बचत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 217 एमएलडी पानी का बिलिंग होता है, इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। शहर में पौने दो लाख कनेक्शन हैं, इसके अलावा करीब एक लाख कनेक्शन अवैध हैं। श्री जोशी ने विश्वास जताया कि धरमपेठ जोन में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई योजना में जो खामियां सामने आईं, वह इस योजना में नहीं रहेगी।